Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

198-2016/Ext. चण्डीगढ़, सोमवार, दिनांक 5 दिसम्बर, 2016
(14 अग्रहायण, 1938 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	**अधिनियम**	
	हरियाणा विधि अधिकारी (विनियोजन) अधिनियम, 2016	225–227
	(2016 का हरियाणा अधिनियम संख्या 18)	
	(केवल हिन्दी में)	
भाग II	**अध्यादेश**	
	कुछ नहीं	
भाग III	**प्रत्यायोजित विधान**	
	कुछ नहीं	
भाग IV	**शुद्धि–पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन**	
	कुछ नहीं	

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 5 दिसम्बर, 2016

संख्या लैज. 22/2016.—दि हरियाणा लॉ ऑफिसरज (इन्गेजमेन्ट) ऐक्ट, 2016, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 22 नवम्बर, 2016 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4—क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :—

2016 का हरियाणा अधिनियम संख्या 18

हरियाणा विधि अधिकारी (विनियोजन) अधिनियम, 2016

पारदर्शी, उचित तथा निष्पक्ष रीति में महाधिवक्ता के कार्यालय में विधि अधिकारियों के विनियोजन की पद्धति के लिए तथा उससे संबंधित या उनसे आनुषंगिक मामलों के लिए उपबन्ध करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा विधि अधिकारी (विनियोजन)अधिनियम, 2016, कहा जा सकता है।

(2) यह तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''महाधिवक्ता'' से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य के लिए महाधिवक्ता के रूप में भारत के संविधान के अनुच्छेद 165 के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति तथा इसमें शामिल है ऐसे रूप में अस्थाई रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति ;

(ख) ''प्रवर्ग'' से अभिप्राय है, विधि अधिकारियों के पद का प्रवर्ग, जो विहित किया जाए तथा इसमें शामिल है ऐसा अन्य प्रवर्ग, जो राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, अवधारित किया जाए;

(ग) ''विधि अधिकारी'' से अभिप्राय है, महाधिवक्ता के कार्यालय में विधि अधिकारी के रूप में इस अधिनियम के अधीन नियुक्त कोई अधिवक्ता;

(घ) ''चयन समिति'' से अभिप्राय है, धारा 5 के अधीन गठित समिति;

(ड.) ''राज्य सरकार'' से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य की सरकार।

पदों का निर्धारण।

3. (1) महाधिवक्ता समय—समय पर विभिन्न प्रवर्गों में विधि अधिकारियों की आवश्यकता के सम्बन्ध में निर्धारण करेगा तथा विभिन्न प्रवर्गों में विधि अधिकारियों के पदों के सृजन, समापन या भरने, जैसी भी स्थिति हो, के लिए राज्य सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा।

(2) राज्य सरकार, महाधिवक्ता की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न प्रवर्गों में विधि अधिकारियों के पदों के सृजन, समापन या भरने, जैसी भी स्थिति हो, के लिए निर्णय लेगी।

नियुक्ति प्राधिकारी।

4. राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन पदों के विभिन्न प्रवर्गों के लिए नियुक्ति प्राधिकारी होगी।

चयन समिति का गठन।

5. राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विधि अधिकारियों के रूप में नियुक्त किए जाने वाले उपयुक्त अधिवक्ताओं के चयन के लिए अध्यक्ष तथा ऐसे अन्य सदस्यों, जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित किए जाएं, से मिलकर बनने वाली चयन समिति का गठन करेगी।

चयन समिति के कृत्य।

6. (1) चयन समिति, विभिन्न प्रवर्गों में विधि अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में, राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगी, जो विहित की जाए।

(2) चयन समिति, पात्रता, मैरिट तथा उपयुक्तता के अनुसार अधिवक्ताओं के नामों का पैनल तैयार करेगी तथा राज्य सरकार को इसकी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी।

(3) चयन समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर, राज्य सरकार, आदेश द्वारा, विभिन्न प्रवर्गों में विधि अधिकारियों की नियुक्ति करेगी :

परन्तु महाधिवक्ता, राज्य सरकार के अनुमोदन से अपने कार्यालय की अत्यावश्यकता के दृष्टिगत तथा निर्बाध संचालन के लिए पांच अधिवक्ताओं तक जो उसकी राय में ऐसी विशेष अर्हता तथा अनुभव रखते हों, जो वह उपयुक्त समझे, विनियोजित कर सकता है।

पात्रता मानदण्ड।

7. विधि अधिकारियों के चयन के लिए पात्रता मानदण्ड ऐसा होगा, जो विहित किया जाए।

निरर्हताएं।

8. अधिवक्ता नियुक्त किए जाने के लिए या विधि अधिकारी के रूप में बने रहने के लिए निरर्हित होगा, यदि,–

(क) वह विकृत चित्तव्यक्ति के रूप में पाया जाता है ;

(ख) वह अनुन्मोचित दिवालिया हो गया है;

(ग) वह नैतिक अधमता वाले अपराध से दोषसिद्ध किया गया है तथा ऐसी दोषसिद्धि बदली नहीं गई है या ऐसे अपराध के संबंध में पूर्ण क्षमा नहीं दी गई है ;

(घ) वह किसी सार्वजनिक सम्पत्ति के अतिक्रमण का दोषी ठहराया गया है;

(ङ) वह राज्य की विधिज्ञ परिषद्, जहां वह नामांकित किया गया है या भारतीय विधिज्ञ परिषद् या किसी न्यायालय या प्राधिकरण द्वारा निरर्हित किया गया है या हो जाता है;

(च) उसने जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है ;

(छ) उसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है :

परन्तु यदि राज्य सरकार की संतुष्टि हो जाती है कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस धारा के खण्ड (च) तथा (छ) के लागू होने से छूट दे सकती है।

नियोजन का स्वरूप।

9. विभिन्न प्रवर्गों के लिए विधि अधिकारियों का विनियोजन संविदा आधार पर किया जाएगा तथा ऐसी अवधि के लिए विनियोजित किए जाएंगे, ऐसे लाभों,विशेषाधिकारों तथा तत्सम्बन्धी प्रोटोकोल के लिए हकदार होंगे, जो राज्य सरकार द्वारा उनके विनियोजन के निबन्धनों तथा शर्तों में उन्हें विशेष रूप से वर्णित करते हुए अवधारित किए जाएं।

विधि अधिकारी के कर्तव्य।

10. (1) विधि अधिकारी के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे,–

(क) ऐसे विधिक मामलों पर राज्य सरकार को मन्त्रणा देना, तथा विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्य करना, जो समय–समय पर राज्य सरकार या महाधिवक्ता द्वारा उसे निर्दिष्ट किए जाएं या सौंपे जाएं;

(ख) राज्य सरकार या महाधिवक्ता द्वारा किसी साधारण या विशेष आदेश/ अनुदेश द्वारा सौंपे गए या किसी न्यायालय या प्राधिकरण द्वारा अन्यथा अपेक्षित मामलों में उच्च न्यायालय, भारत के सर्वोच्च न्यायालय, किसी अन्य न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होना तथा राज्य सरकार तथा/ या इसके अधिकारियों/ कर्मचारियों या किसी संवैधानिक प्राधिकरण का प्रतिवाद करना ;

(ग) भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति द्वारा किए गए किसी निर्देशन में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करना ;

(घ) ऐसे अन्य कृत्य करना जो भारत के संविधान या के अधीन तत्समय लागू किसी अन्य विधि द्वारा या के अधीन विधि अधिकारी को प्रदत्त किए गए हैं ।

(2) विधि अधिकारी, राज्य सरकार के हित के विरुद्ध किसी विधिक न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होगा।

मुख्यालय।

11. (1) विधि अधिकारी का मुख्यालय चण्डीगढ़ में होगा।

(2) विधि अधिकारी, जिसे मुख्यालय से बाहर के मामले सौंपे गए हैं, महाधिवक्ता की अनुमति से उस स्थान का कार्यभार धारण करेगा।

अवकाश तथा अन्य मामले।

12. विधि अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित अवकाश तथा अन्य मामले जो इस अधिनियम में विशेष रूप से उपबंधित न हों, ऐसे होंगे, जो विहित किए जाएं।

13. इस अधिनियम में दी गई किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, महाधिवक्ता के परामर्श से या की सिफारिशों पर, जैसी भी स्थिति हो, किसी विधि अधिकारी को उसके पद से मुक्त या विनियोजन से अलग कर सकती है। मुक्त करने की शक्ति।

14. राज्य सरकार या राज्य सरकार के अनुमोदन से महाधिवक्ता को, किसी अधिवक्ता, जो विधि अधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया गया है, को राज्य सरकार तथा/ या इसके अधिकारियों/ कर्मचारियों तथा इसके अभिकरणों की ओर से किसी विशेष मामले या मामलों की श्रेणी को संस्थित, अभियोजित या प्रतिवाद करने के लिए विनियोजित करने का अधिकार होगा। अन्य अधिवक्ताओं को विनियोजित करने का अधिकार।

15. राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है। नियम बनाने की शक्ति।

16. यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी रूप देने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उपबन्ध, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, कर सकती है, जो इसे कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो। कठिनाईयां दूर करने की शक्ति।

17. (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व महाधिवक्ता के कार्यालय में विनियोजित विधि अधिकारियों का विनियोजन या विस्तार प्रभावित नहीं होगा। व्यावृत्तियां।

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व लागू महाधिवक्ता द्वारा की गई कोई कार्रवाई, लिया गया निर्णय या दिया गया निर्देशन, वैध तथा आबद्धकर, जैसी भी स्थिति हो, होगा तथा इस अधिनियम में दी गई किसी बात के होते हुए भी लागू रहेगा।

कुलदीप जैन,
सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।

54846—L.R.—H.G.P., Chd.